

बिहार सरकार  
वायुयान संगठन निदेशालय  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
पटना हवाई अड्डा, पटना-800014

-:: अधिसूचना ::-

पटना दिनांक-19/05/2025

वा0सं0नि0(स्थापना)-01-68/2024-143 भारतीय-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, वायुयान संगठन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों में भर्ती एवं प्रोन्नति आदि को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । -

- (i). यह नियमावली "बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025" कही जा सकेगी ।
- (ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (iii). यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ । -

जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

- (i). 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ।
- (ii). 'विभाग' से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii). 'निदेशालय' से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का वायुयान संगठन निदेशालय, बिहार, पटना ।
- (iv). 'डी0जी0सी0ए0' से अभिप्रेत है नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार ।
- (v). 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है समूह-'क' एवं 'ख' के राजपत्रित पदाधिकारियों के मामलों में विभागीय मंत्री एवं समूह-'ख', 'ग' एवं 'घ'के अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मियों के मामले में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।
- (vi). 'परिशिष्ट-'क' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट-'क', जिसमें निदेशालय में सृजित पदों की प्रकृति, नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया, प्रोन्नति की प्रक्रिया, चयन समिति की संरचना एवं प्रोन्नति समिति की संरचना आदि का उल्लेख है ।
- (vii). 'नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति' से अभिप्रेत है नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट-'क' के स्तम्भ-09 में गठित चयन समिति ।
- (viii). 'पदोन्नति समिति' एवं 'संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति से अभिप्रेत है नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट-'क' के स्तम्भ-10 में गठित समिति ।
- (ix). 'सीधी भर्ती' से अभिप्रेत है नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट-'क' के स्तम्भ-09 में गठित चयन समिति द्वारा खुले विज्ञापन के आधार पर साक्षात्कार द्वारा चयन ।
- (x). 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव ।

- (xi). 'तकनीकी/उच्चतकनीकी पद' से अभिप्रेत है ऐसे पद जिनकी नियुक्ति/नियोजन हेतु अर्हता तकनीकी हो, जो डी०जी०सी०ए० के प्रावधानों के आलोक में निर्धारित हो।
- (xii). 'उत्तरदायी प्रबंधक' से अभिप्रेत है, डी०जी०सी०ए० के प्रावधान के आलोक में वायुयान संगठन के लिए आवश्यक पद अर्थात् निदेशालय के ऐसे तकनीकी पदाधिकारी जो डी०जी०सी०ए० से संगठन के उत्तरदायी प्रबंधक के रूप में मान्यता रखते हों।

### 3. संवर्ग की संरचना । -

#### (1). निदेशालय में निम्नांकित उपसंवर्ग होंगे-

##### (i). विमान चालक/पायलट उपसंवर्ग:-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	विमान चालक/पायलट	मूल कोटि	राजपत्रित
ii	वरीय विमान चालक/पायलट	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	राजपत्रित
iii	मुख्य विमान चालक	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान	राजपत्रित

##### (ii). हेलिकॉप्टर चालक/पायलट उपसंवर्ग:-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	हेलिकॉप्टर पायलट	मूल कोटि	राजपत्रित
ii	वरीय हेलिकॉप्टर चालक/पायलट	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	राजपत्रित

##### (iii). इंजीनियर उपसंवर्ग :-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	मैकेनिक/तकनीशियन (वायुयान/हेलिकॉप्टर/रेडियो)	मूल कोटि	अराजपत्रित
ii	विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) (वायुयान/हेलिकॉप्टर/रेडियो)	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	राजपत्रित
iii	मेन्टेनेंस मैनेजर (अनुरक्षण प्रबंधक)	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान	राजपत्रित

नोट- मैकेनिक (तकनीशियन) वायुयान/मैकेनिक (तकनीशियन) हेलिकॉप्टर/मैकेनिक (तकनीशियन) रेडियो क्रमशः विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) वायुयान/ विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) हेलिकॉप्टर/विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) रेडियो के पद पर प्रोन्नत हो सकेंगे। विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) वायुयान/हेलिकॉप्टर/रेडियो में से वरीष्ठ योग्य उम्मीदवार मेन्टेनेंस मैनेजर के पद पर प्रोन्नत हो सकेंगे।

##### (iv). भंडारपाल उपसंवर्ग:-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	सहायक भंडारपाल	मूल कोटि	अराजपत्रित
ii	मुख्य भंडारपाल	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	अराजपत्रित

- (v). निदेशालय के ऐसे तकनीकी पद जो उक्त उपसंवर्गों में सम्मिलित नहीं है वे अपने उपसंवर्ग के एकल पद समझे जायेंगे।
- (vi). निदेशालय में सृजित गैर-तकनीकी पद (जैसे-प्रशासी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी, सफाईकर्मी आदि) जो पूर्व से बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग अथवा अन्य विभाग के द्वारा गठित संवर्गों के पद हैं वे इस नियमावली के तहत गठित संवर्गीय पद नहीं समझे जायेंगे।
- (2). यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। संवर्गीय पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु अर्हता एवं अन्य अपेक्षाएँ परिशिष्ट-‘क’ के अनुरूप होगी। नियमित नियुक्ति में पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति आदि को अलग से आयु सीमा में छूट बिहार सरकार के प्रावधानों के आलोक में देय होगा।
- (3). संलग्न परिशिष्ट-‘क’ में वर्णित पदों की संख्या एवं वेतनस्तर/वेतनमान वहीं होगा, जो समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए।
- (4). संवर्ग के पदों पर नियमित कर्मियों की अनुपलब्धता की स्थिति में समय-समय पर यथानिर्धारित प्रावधानों के आलोक में संविदा नियोजन किया जा सकेगा।
- (5). निदेशालय में सृजित पदों पर अपरिहार्य स्थिति में बाह्य स्रोत से पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवा प्राप्त की जा सकेगी। ऐसे में अल्प अवधि के लिए निविदा/दर सूची/प्राक्कलन आदि प्राप्त कर बाह्य स्रोत से विमान चालकों एवं तकनीकी कर्मियों आदि की सेवा ली जा सकेगी और ऐसी आकस्मिक स्थिति में ली गई सेवा के विरुद्ध भुगतान सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से प्रशासी विभाग कर सकेगा। एतदर्थ नियमानुसार सेवा प्राप्ति की शर्तों का निर्धारण, विभाग द्वारा वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा।
- (6). वायुयान संगठन को उड़ान कार्य संचालित करने हेतु डी0जी0सी0ए0 से Air Operator Permit (AOP) एवं अन्य समरूप मान्यता प्राप्त करनी होती है, ऐसे में डी0जी0सी0ए0 के अनुरूप विभिन्न समय में विभिन्न पदों की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में आवश्यक पदों पर निदेशालय अपने योग्य तकनीकी पदाधिकारियों/कर्मियों को नामित कर सकेगा।

#### 4. भर्ती की प्रक्रिया एवं पदस्थापन आदि । -

- (1). निदेशालय के पदों की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिपथ रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब अथवा पदों की रिक्ति से संगठन के उड़ान संचालन कार्य हेतु डी0जी0सी0ए0 से प्राप्त मान्यता को अप्रभावित रखने हेतु प्रशासी विभाग खुला विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित कर सकेगा एवं नियमित नियुक्ति की स्थिति में संलग्न परिशिष्ट-‘क’ के स्तंभ-09 तथा संविदा के आधार पर नियोजन की स्थिति में संलग्न परिशिष्ट-‘क’ के स्तंभ-10 में प्रावधानित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।
- (2). उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय एवं वायुयान संगठन निदेशालय दोनों ही निदेशालय विमानन/उड्डयन क्षेत्र से संबंधित हैं, ऐसे में तकनीकी पदाधिकारियों/कर्मियों का अन्तर-निदेशालयी प्रतिनियुक्ति अथवा अतिरिक्त प्रभार विभाग स्तर से दिया जा सकेगा।

- (3). निदेशालय के वैसे पद जो पद सोपान में प्रोन्नति के भी पद हैं, अगर प्रोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निदेशालय की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिपथ रखते हुए पद को संविदा नियोजन/वाह्य स्रोत/प्रतिनियुक्ति अथवा अतिरिक्त प्रभार से नियमानुसार भरे जा सकेंगे।
- (4). निदेशालय के उच्चतकनीकी/तकनीकी पदों पर की गई नियुक्ति/नियोजन/प्रोन्नति/वाह्य स्रोत से चयन के उपरांत डी0जी0सी0ए0 से अनुमोदन की आवश्यकता होती है तदनुसार चयनित अभ्यर्थियों को डी0जी0सी0ए0 द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/साक्षात्कार आदि उत्तीर्ण करना होता है। अतः चयन के उपरांत डी0जी0सी0ए0 द्वारा यथानिर्धारित अपेक्षा पूर्ण नहीं करने पर उनका चयन विभाग द्वारा रद्द किया जा सकेगा। प्रोन्नति के समरूप मामलों में चयनित अभ्यर्थी पूर्ववर्ती पद पर प्रत्यावर्तित किये जा सकेंगे।

#### 5. परीक्ष्यमान अवधि । -

- (1). सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की परीक्ष्यमान अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी।
- (2). परिवीक्षा अवधि में पदाधिकारियों/कर्मियों को ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे जो राज्य सरकार अथवा डी0जी0सी0ए0 द्वारा विहित किये जायें और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो राज्य सरकार अथवा डी0जी0सी0ए0 द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।

#### 6. सम्पुष्टि । -

- (1). परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषजनक पाये जाने, यथानिर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्ण होने पर सेवा को सम्पुष्ट किया जा सकेगा।
- (2). निदेशालय के उच्चतकनीकी एवं तकनीकी पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों /कर्मियों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण, कम्प्यूटर परीक्षा अथवा विभागीय परीक्षा पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। इनकी सेवा संपुष्टि, कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन/चारित्री के आधार पर की जा सकेगी।

#### 7. वरीयता । -

- (1). इस संवर्ग के नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता का निर्धारण चयन समिति की अनुशंसा में यथा निर्धारित मेधाक्रमानुसार होगा।
- (2). इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की वरीयता का निर्धारण इस संवर्ग में स्वतः शामिल होने के पूर्व यथा अवधारित उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार विनियमित की जायेगी।
- (3). सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त कर्मियों के मध्य आपसी वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जा सकेगा।

8. प्रोन्नति । -

- (1). प्रोन्नति के संवर्गीय पदों पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
- (2). प्रोन्नति के लिए परिशिष्ट-‘क’ में यथानिर्धारित अनुभव एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि एवं अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

9. आरक्षण । -

इस संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे।

10. अनुशासनिक कार्रवाई । -

इस संवर्ग के सदस्य बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी किये जाने वाले प्रावधानों से आच्छादित होंगे।

11. अवशिष्ट मामले । -

जिन विषयों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है उनके संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों पर लागू प्रावधान इस संवर्ग में भी प्रभावी होंगे।

12. कठिनाइयों का निराकरण । -

इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार यथा सम्यक सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी।

13. निर्वचन । -

इस नियमावली के किसी उपबन्ध के निर्वचन के संबंध में यदि कोई आशंका उत्पन्न हो तो वह विषय विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा न्यायनिर्णित होगा तथा प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

14. निरसन एवं व्यावृत्ति । -

- (1)-बिहार राज्य सिविल विमानन सेवा भर्ती नियमावली, 1997 एवं इससे संबंधित पत्र/परिपत्र/नियम/आदेश/संकल्प आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2)-ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*Nilesh Ramchandra Dewar*

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:—वा0सं0नि0(स्थापना)—01—68 / 2024—143... दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि:—वित्त (ई—गजट प्रशाखा) विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ वायुयान संगठन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

*Deven*  
19/5/25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:—वा0सं0नि0(स्थापना)—01—68 / 2024—143... दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि:—महालेखाकार बिहार पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Deven*  
19/5/25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:—वा0सं0नि0(स्थापना)—01—68 / 2024—143... दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव वित्त विभाग / सचिव, विधि विभाग / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना / निदेशक, उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय, मं0स0वि0 / महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

*Deven*  
19/5/25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:—वा0सं0नि0(स्थापना)—01—68 / 2024—143... दिनांक 19/05/2025

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Deven*  
19/5/25

सरकार के विशेष सचिव

**परिशिष्ट - 'क'**  
**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**

क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया/ आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति/पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	निदेशक	नियमित/संविदा/प्रतिनियुक्ति (स्थाई पद)	भा.प्र.से. के (वेतन स्तर-13 से अन्यून के) पदाधिकारी अथवा बि.प्र.से के (वेतन स्तर-13 से अन्यून स्तर) पदाधिकारी सिविल विमानन में पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव रखने वाले, जिनके पास मुख्य विमान चालक की अर्हता भी हो।	भा०प्र०से० एवं बि०प्र०से० के पदाधिकारियों की नियुक्ति/पदस्थापन/ प्रतिनियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकार के आदेश से किया जायेगा। इस पद पर मुख्य विमान चालक की अर्हता धारित अभ्यर्थी के नियुक्ति के मामले में खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।	मुख्य विमान चालक की योग्यता वाले अभ्यर्थी का निदेशक पद पर नियुक्ति के मामले में खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।	सीधी भर्ती का पद	01 वर्ष	1. <b>अध्यक्ष</b> -बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य। 2. <b>सदस्य</b> -अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> -अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 4. <b>सदस्य</b> -अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग 5. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी 6. <b>विशेष आमंत्रित सदस्य</b> - डी.जी.सी.ए. भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य। 7. <b>विशेष आमंत्रित सदस्य</b> - उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय।	1. <b>अध्यक्ष</b> -अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 2. <b>सदस्य</b> -अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> -आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 4. <b>सदस्य</b> -उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन। 5. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 6. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो। 7. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।
2	मुख्य विमान चालक	नियमित/संविदा/प्रोन्नति/वाह्य स्रोत/ (स्थाई पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>चालू एवं वैध वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस (Current Valid CPL) या एयर लाईन ट्रान्सपोर्ट पायलट लाईसेंस (Current Valid ATPL)।</li> <li>फ्लाइंग रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाईसेंस (Current Valid FRTOL)।</li> <li>Current Instrument Rating CIR।</li> <li>DGCA द्वारा Class-1 Medical Assessment</li> <li>5000 घंटे का दुर्घटना रहित उड़ान अनुभव।</li> <li>Multi Engine पर आवश्यक उड़ान अनुभव।</li> <li>वरीय विमान चालक के रूप में 03 वर्षों का कार्य अनुभव।</li> <li>VIP/VVIP Flying हेतु DGCA द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करना।</li> <li>इसके अतिरिक्त DGCA द्वारा वांछित अन्य अर्हता।</li> </ul>	नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।	खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से	वरीय विमान चालक के पद हेतु आवश्यक उड़ान अनुभव होना चाहिए तथा डी०जी०सी०ए० का Approval प्राप्त होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पुरा करना होगा।	01 वर्ष	1. <b>अध्यक्ष</b> - बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य। 2. <b>सदस्य</b> -अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> -अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 4. <b>सदस्य</b> -आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 5. <b>सदस्य</b> -निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय 6. <b>सदस्य</b> -उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय। 7. <b>सदस्य</b> -सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 8. <b>सदस्य</b> -सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	1. <b>अध्यक्ष</b> -अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 2. <b>सदस्य</b> -अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> -आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 4. <b>सदस्य</b> -निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन। 5. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 6. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो। 7. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।
3	वरीय विमान चालक/ पायलट	नियमित/संविदा/प्रोन्नति/वाह्य स्रोत/ (स्थाई पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>चालू एवं वैध वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस (Current Valid CPL) या एयर लाईन ट्रान्सपोर्ट पायलट लाईसेंस (Current Valid ATPL)।</li> <li>फ्लाइंग रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाईसेंस (Current Valid FRTOL)।</li> <li>Current Instrument Rating CIR।</li> <li>DGCA द्वारा Class-1 Medical Assessment</li> <li>3000 घंटे का दुर्घटना रहित उड़ान अनुभव।</li> <li>विमान चालक के रूप में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव।</li> <li>Multi Engine पर आवश्यक उड़ान अनुभव।</li> <li>King Air C-90 एवं वायुयान संगठन निदेशालय के सभी एयरक्राफ्ट पर पृष्ठांकन को प्राथमिकता।</li> <li>VIP/VVIP Flying हेतु DGCA द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करना।</li> <li>इसके अतिरिक्त DGCA द्वारा वांछित अन्य अर्हता।</li> </ul>	नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।	खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/	विमान चालक के पद हेतु आवश्यक उड़ान अनुभव होना चाहिए तथा डी०जी०सी०ए० का Approval प्राप्त होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पुरा करना होगा।	01 वर्ष	1. <b>अध्यक्ष</b> - बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य। 2. <b>सदस्य</b> -अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> -अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 4. <b>सदस्य</b> -आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 5. <b>सदस्य</b> -निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय 6. <b>सदस्य</b> -उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय। 7. <b>सदस्य</b> -सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 8. <b>सदस्य</b> -सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	1. <b>अध्यक्ष</b> -अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 2. <b>सदस्य</b> -अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> -आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 4. <b>सदस्य</b> -निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय 5. <b>सदस्य</b> -मुख्य विमान चालक अथवा उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय 6. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 7. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो। 8. <b>सदस्य</b> - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।

**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**

क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया/ आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति/पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4	विमान चालक/ पायलट	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्रोत/ (स्थाई पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चालू एवं वैध वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस (Current Valid CPL) या एयर लाईन ट्रान्सपोर्ट पायलट लाईसेंस (Current Valid ATPL)।</li> <li>• फ्लाइंग रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाईसेंस (Current Valid FRTO)।</li> <li>• Current Instrument Rating CIR।</li> <li>• DGCA द्वारा Class-I Medical Assessment</li> <li>• 1000 घंटे का दुर्घटना रहित उड़ान अनुभव।</li> <li>• मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट पर आवश्यक उड़ान अनुभव।</li> <li>• DGCA द्वारा अनुमोदित परीक्षक द्वारा विगत 03 वर्षों का दुर्घटना/घटना रहित उड़ान अनुभव का प्रमाण पत्र।</li> <li>• King Air C-90 एवं वायुयान संगठन निदेशालय में उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर पृष्ठांकन को प्राथमिकता। इसके अतिरिक्त DGCA द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवश्यक अन्य अर्हता।</li> </ul>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/</p> <p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।</p>	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>अध्यक्ष</b>— बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li>2. <b>सदस्य</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. <b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>4. <b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>5. <b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>6. <b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>7. <b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>8. <b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>अध्यक्ष</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>2. <b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. <b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>4. <b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>5. <b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>6. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>7. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li>8. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>
5	वरीय हेलिकॉप्टर चालक/ पायलट	नियमित/ प्रोन्नति/ वाह्य स्रोत/ संविदा (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3000 घंटों का (दुर्घटना/घटना रहित) उड़ान अनुभव।</li> <li>2. चालू एवं वैध वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर लाईसेंस।</li> <li>3. नाइट रेटेड।</li> <li>4. इन्स्ट्रुमेंट रेटिंग।</li> <li>5. वायुयान संगठन निदेशालय के उपलब्ध सभी हेलीकॉप्टर पर पृष्ठांकन।</li> <li>6. टरवाइन इन्डोर्समेंट।</li> <li>7. हेलिकॉप्टर चालक/पायलट के रूप में न्यूनतम 03 वर्षों का कार्यानुभव।</li> <li>8. वायुयान संगठन निदेशालय के उपलब्ध हेलिकॉप्टर पर पृष्ठांकन को प्राथमिकता।</li> <li>9. इसके अतिरिक्त DGCA द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवश्यक अन्य अर्हता।</li> </ol>	<p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	तथैव	हेलिकॉप्टर चालक के पद से प्रोन्नति।  वरीय हेलिकॉप्टर चालक के पद हेतु आवश्यक उड़ान अनुभव होना चाहिए तथा डी०जी०सी०ए० का Approval प्राप्त होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पूरा करना होगा।	01 वर्ष	तथैव।	तथैव।
6	हेलिकॉप्टर पायलट	नियमित/ वाह्य स्रोत/ संविदा/ (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1000 घंटों का (दुर्घटना/ घटना रहित) उड़ान अनुभव।</li> <li>2. चालू एवं वैध वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर लाईसेंस।</li> <li>3. नाइट रेटेड।</li> <li>4. इन्स्ट्रुमेंट रेटिंग।</li> <li>5. टरवाइन इन्डोर्समेंट।</li> <li>6. वायुयान संगठन निदेशालय के उपलब्ध हेलिकॉप्टर पर पृष्ठांकन को प्राथमिकता। इसके अतिरिक्त DGCA द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवश्यक अन्य अर्हता।</li> </ol>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/</p> <p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	तथैव	सीधी भर्ती का पद	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>अध्यक्ष</b>— बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li>2. <b>सदस्य</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. <b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>4. <b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>5. <b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>6. <b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक अथवा मुख्य विमान चालक अथवा वरीय हेलिकॉप्टर चालक, वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>7. <b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>8. <b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>अध्यक्ष</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>2. <b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. <b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>4. <b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>5. <b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>6. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>7. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li>8. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>

**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**

क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया / आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती / नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति / पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7	चीफ ऑफ फ्लाइंट सेफ्टी	नियमित / संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<p>i. विमान दुर्घटना, घटना जांच, सुरक्षा ऑडिट और न्यूनतम 05 वर्ष के अनुभव से दुर्घटना निवारण कार्य में अनुभव। व्यापक एविएशन / तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो।</p> <p>ii. वाणिज्यिक ऑपरेशंस, खासकर उड़ान ऑपरेशन प्रक्रियाओं और गतिविधियों के मजबूत ज्ञान।</p> <p>iii. वायुयान संगठन द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले विमानों के प्रकार पर प्राथमिकता से यात्रा दल के सदस्य के रूप में अनुभव या एविएशन इंजीनियर के रूप में अनुभव।</p> <p>iv. लिखने में स्पष्ट व्यक्ति होने की क्षमता।</p> <p>v. अच्छी प्रस्तुति और व्यक्तिगत कौशल। संगठन के भीतर और बाहर सभी स्तरों पर संवाद करने की क्षमता।</p> <p>vi. संगठनात्मक क्षमता।</p> <p>vii. अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमताएँ।</p> <p>viii. नेतृत्व और प्राधिकारपूर्ण पहुँच प्रदर्शित करना।</p> <p>ix. इसके अतिरिक्त DGCA द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवश्यक अन्य अर्हता।</p>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से /</p> <p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।</p>	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>अध्यक्ष</b>— बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li>2. <b>सदस्य</b>—अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. <b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>4. <b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>5. <b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>6. <b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>7. <b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>8. <b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>अध्यक्ष</b>—अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>2. <b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. <b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>4. <b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>5. <b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>6. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>7. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li>8. <b>सदस्य</b>— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>
8	फ्लाइंट डिस्पैचर	नियमित / संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<p><b>Educational Qualification:</b> उड़ान डिस्पैचर के लिए आवेदक को कक्षा 10+2 (विज्ञान के साथ) पास होना चाहिए।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित सहित समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए।</p> <p><b>Experience:</b> आवेदक को निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए</p> <p>वायु परिवहन में एक उड़ान दल के सदस्य।</p> <p>या</p> <p>वायु परिवहन में विमानों को ऑपरेशनल नियंत्रण प्रदान करने वाली संगठन में एक मौसमविज्ञानी।</p> <p>या</p> <p>एक एयर ट्रैफिक नियंत्रक या उड़ान ऑपरेशन सिस्टम के तकनीकी पर्यवेक्षक या विमान परिवहन उड़ान संबंधी सिस्टम।</p> <p>या</p> <p>एक मान्यता प्राप्त सीपीएल / एटीपीएल वाला पायलट।</p> <p>या</p> <p>उस पायलट के लिए तकनीकी विशेष परीक्षण (सम्मेलन सहित) में सफलतापूर्वक पास किया हो, जिसने DGCA (CEO) / DGCA अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन / ATRP (मान्यता प्राप्त टाइप रेटिंग प्रोग्राम वाले हवाई वायुसेवा) द्वारा चाहे विमान प्रकार पर उड़ान डिस्पैचर की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया हो।</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>या</p> <p>एयर ट्रांसपोर्ट के डिस्पैचिंग में सहायक के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, जिसमें आवेदन के तत्काल पूर्व से छह महीने के भीतर कम से कम 90 कामकाजी दिनों की अधीनता में एक फ्लाइंट डिस्पैचर की निगरानी के तहत सेवा की गई हो। इसके अतिरिक्त DGCA द्वारा आवश्यक अन्य अर्हता।</p>	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	तथैव।	तथैव।

**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**

क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया/ आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति/पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9	चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर	प्रतिनियुक्ति/ संविदा (स्थायी पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी।</li> <li>अथवा</li> <li>विमानन क्षेत्र में चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर के रूप में कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव।</li> <li>इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० से चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर रूप में नामित होने हेतु निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।</li> </ul>	-	खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>सदस्य—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>सदस्य—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>सदस्य—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>सदस्य—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>सदस्य— सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>सदस्य— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li>सदस्य— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>
10	सुरक्षा प्रबंधक (Safety Manager)	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्रोत (स्थायी पद)	<p>एक से अधिक प्रमाणपत्र/लाइसेंस के धारक जो निम्नलिखित हो:</p> <p>(i) नियम 134 या 134A के तहत जारी शीड्यूल्ड यानन-शीड्यूल्ड ऑपरेटर्स परमिट।</p> <p>(ii) सामान्य विमानन के लिए बड़े या टर्बोजेट एयरोप्लेन के ऑपरेशन का प्रदर्शन।</p> <p>(iii) नियम 78 के अधीन लाइसेंस प्राप्त एयरोड्रोम के ऑपरेशन में प्रवीण।</p> <p>(iv) नियम 133B के अधीन मंजूर विमान, इंजन या प्रोपेलर के प्रकार डिजाइन में प्रवीण।</p> <p>(v) नियम 133B के अधीन मंजूर मेटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन और हवाई जहाजों या हेलीकॉप्टर्स की रख-रखाव में प्रवीण।</p> <p>(vi) नियम 41B के अधीन मंजूर प्रशिक्षण ऑर्गेनाइजेशन।</p> <p>(vii) एक एयर ट्रेफिक सेवा प्रदाता। और एक सुरक्षा प्रबंधक को संगठन के कार्य स्कोप और ऑपरेशन का ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>एक सुरक्षा प्रबंधक SMS (सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) के प्रणालन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। CAR निर्दिष्ट करता है कि सेवा प्रदाता द्वारा SMS स्थापना के लिए न्यूनतम स्वीकृत आवश्यकताओं को विशेष करता है। इसके अतिरिक्त DGCA द्वारा आवश्यक अन्य अर्हता।</p>	खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>अध्यक्ष— बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li>सदस्य—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>सदस्य—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>सदस्य—आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>सदस्य—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>सदस्य—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>सदस्य—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>सदस्य—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी</li> </ol>	तथैव।
11	Consultant	संविदा/ वाह्य स्रोत (स्थायी पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>वायुयान संगठन के संचालन, प्रशिक्षण तथा सिविल विमानन से संबंधित DGCA द्वारा निर्धारित नियमों की समुचित विशेषज्ञता।</li> <li>Consultant के पद पर कार्य करने हेतु सेवानिवृत्त पदाधिकारी को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विमानन क्षेत्र में पॉयलट/प्रशिक्षक/मेटेनेन्स मैनेजर, एकाउन्टेबल मैनेजर अथवा वैसे सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिनके पास विमानन क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों के कार्य अनुभव हो अथवा विमानन क्षेत्र के वेतन स्तर-11/12 से अन्यून सेवानिवृत्त तकनीकी पदाधिकारी का नियोजन किया जा सकता है।</li> </ul>	-	तथैव	-	-	-	तथैव।

**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**

क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया / आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती / नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति / पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12	सिविल इंजिनियर	संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सेवानिवृत्त अपर मुख्य अभियंता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी अथवा विमानन क्षेत्र के वेतन स्तर-11/12 से अन्यून सेवानिवृत्त अभियंता।	- संविदा नियोजन हेतु न्यूनतम- 60 वर्ष अधिकतम-70 वर्ष	खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।	-	-	-	1. <b>अध्यक्ष</b> —अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 2. <b>सदस्य</b> —अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> —आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 4. <b>सदस्य</b> —निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय 5. <b>सदस्य</b> —उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय। 6. <b>सदस्य</b> — सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 7. <b>सदस्य</b> — सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो। 8. <b>सदस्य</b> — सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।
13	मेन्टेनेंस मैनेजर (अनुरक्षण प्रबंधक) (MM)	नियमित / प्रोन्नति संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● चालू एवं वैद्य कैटेगरी -सी /बी-1 /बी-3 लाईसेंस DGCA माप-दण्ड के अनुरूप।</li> <li>● सी/बी-3/ए.एम.ई. मेन्टेनेन्स का वायुयान संगठन निदेशालय में उपलब्ध विमानों पर पृष्ठांकन।</li> <li>● इंजिनियर के रूप में 10 वर्षों का कार्यानुभव।</li> <li>● इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य अर्हता मान्य होगा।</li> </ul>	नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।	तथैव	AME के पद से प्रोन्नति।  MM के पद हेतु आवश्यक योग्यता होना चाहिए तथा डी०जी०सी०ए० का Approval प्राप्त होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पुरा करना होगा।	01 वर्ष	1. <b>अध्यक्ष</b> — बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य। 2. <b>सदस्य</b> —अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> —अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 4. <b>सदस्य</b> —आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 5. <b>सदस्य</b> —निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय 6. <b>सदस्य</b> —सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 7. <b>सदस्य</b> —उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय। 8. <b>सदस्य</b> —सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	तथैव।
14	क्वालिटी मैनेजर (QM)	नियमित / वाह्य स्रोत / संविदा (स्थाई पद)	<p>1. आवश्यक इंजीनियरिंग डिग्री या विमानन रखरखाव तकनीशियन की योग्यता जो डी०जी०सी०ए० द्वारा स्वीकार्य हो। आवश्यक इंजीनियरिंग से अभिप्राय एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स से होने वाली इंजीनियरिंग डिग्री से है। या विमानों/ विमानों के कल-पूर्व के रख-रखाव और निरंतर उड़ान योग्यता जारी रखने के संबंधित अध्ययन।</p> <p>2. विमान रख-रखाव पर पाँच वर्ष का काम अनुभव या एयरोनॉटिकल इंडस्ट्री में पाँच वर्ष का रखरखाव अनुभव, जिसमें एविएशन/औद्योगिक वातावरण में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्त जानकारी हो।</p> <p>3. विमान सुरक्षा मानकों और सुरक्षित ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के अनुप्रयोग में अभ्यास और विशेषज्ञता।</p> <p>4. निम्न का व्यापक ज्ञान— i. ऑपरेशनल आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के संबंधित हिस्से ii. ऑपरेटर्स ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन, जब लागू हो iii. ऑपरेशन मैनुअल के संबंधित हिस्से का ज्ञान।</p> <p>5. CAR M और CAME की आवश्यकताओं के बारे में पूर्ण ज्ञान, इसके अतिरिक्त CAR 145 का भी विस्तृत ज्ञान।</p> <p>6. रखरखाव विधियों और CAR 145 प्रक्रियाओं का ज्ञान।</p> <p>7. क्वालिटी ऑडिट एवं क्वालिटी प्रबंधन का ज्ञान। पूर्व से क्वालिटी मैनेजर के रूप में कार्य अनुभव को प्राथमिकता। इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य अर्हता मान्य होगा।</p>	खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/  नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	1. <b>अध्यक्ष</b> — बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य। 2. <b>सदस्य</b> —अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> —अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 4. <b>सदस्य</b> —आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 5. <b>सदस्य</b> —निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय 6. <b>सदस्य</b> —सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 7. <b>सदस्य</b> —उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय। 8. <b>सदस्य</b> —सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	1. <b>अध्यक्ष</b> —अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 2. <b>सदस्य</b> —अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 3. <b>सदस्य</b> —आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)। 4. <b>सदस्य</b> —निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय 5. <b>सदस्य</b> —उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय। 6. <b>सदस्य</b> — सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी। 7. <b>सदस्य</b> — सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो। 8. <b>सदस्य</b> — सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।

**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**

क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया / आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती / नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति / पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15	निरंतर उड़ान योग्यता प्रबंधक (CAM)	नियमित / वाह्य स्रोत / संविदा (स्थायी पद)	<p>i. कम से कम पाँच वर्ष का संबंधित काम अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम से कम दो वर्ष विमानन इंडस्ट्री में उचित पद पर हों।</p> <p>ii. DGCA द्वारा स्वीकार्य अतिरिक्त शिक्षा के साथ एक सम्बंधित इंजीनियरिंग डिग्री या विमान रखरखाव तकनीशियन योग्यता। 'सम्बंधित इंजीनियरिंग' का मतलब विमानकीय, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स से होने वाली इंजीनियरिंग डिग्री है।</p> <p>या</p> <p>विमानों / विमानों के कल-पूजों के रख-रखाव और निरंतर उड़ान योग्यता जारी रखने के संबंधित अध्ययन।</p> <p>iii. संगठन के जारी रखरखाव प्रबंधन विवरण के पूर्ण ज्ञान।</p> <p>iv. एक प्रमाणीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से उदाहरण के संबंधित नमूने का ज्ञान।</p> <p>v. रख-रखाव विधियों का ज्ञान।</p> <p>vi. निरंतर उड़ान योग्यता प्रबंधक (CAM) के रूप में पूर्व के कार्य अनुभव को प्राथमिकता।</p> <p>vi. इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य अर्हता मान्य होगा।</p>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से /</p> <p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।</p>	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष- बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li>2. सदस्य-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. सदस्य-अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>4. सदस्य-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>5. सदस्य-निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>6. सदस्य-उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मुख्य विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मेन्टेनेंस मैनेजर, वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>7. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>8. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>2. सदस्य-अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. सदस्य-आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>4. सदस्य-निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>5. सदस्य-उत्तरदायी प्रबंधक अथवा मेन्टेनेंस मैनेजर, वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>6. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>7. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अनूयन स्तर का हो।</li> <li>8. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अनूयन स्तर का हो।</li> </ol>
16	विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईड/सपोर्ट स्टाफ) वायुयान	नियमित / प्रोन्नति संविदा / वाह्य स्रोत (स्थायी पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चालू एवं वैध कैटेगोरी 'सी' अथवा बी-1/बी-3 लाइसेंस (DGCA द्वारा)।</li> <li>• वायुयान संगठन निदेशालय के उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर पृष्ठानकन।</li> <li>• बी-1 अथवा बी-3 लाइसेंस इंजीनियर का 05 वर्षों का पोस्ट एक्सपेरियेंस।</li> <li>• विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) के रूप में पूर्व से कार्यअनुभव को प्राथमिकता।</li> <li>• इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य अर्हता मान्य होगा।</li> </ul>	तथैव	तथैव	मैकेनिक वायुयान के पद से प्रोन्नति।	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष- बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li>2. सदस्य-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. सदस्य-अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>4. सदस्य-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>5. सदस्य-निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>6. सदस्य-उत्तरदायी प्रबंधक अथवा मेन्टेनेंस मैनेजर वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>7. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>8. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>2. सदस्य-अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. सदस्य-आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>4. सदस्य-निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>5. सदस्य-उत्तरदायी प्रबंधक अथवा मेन्टेनेंस मैनेजर वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>6. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>7. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अनूयन स्तर का हो।</li> <li>8. सदस्य-सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अनूयन स्तर का हो।</li> </ol>
17.	विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईड/सपोर्ट स्टाफ) हेलिकॉप्टर	नियमित / प्रोन्नति संविदा / वाह्य स्रोत (स्थायी पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AME (हेलिकॉप्टर) कैटेगोरी बी-1 अथवा बी-3 लाइसेंस (DGCA द्वारा)।</li> <li>• वायुयान संगठन निदेशालय के उपलब्ध हेलिकॉप्टर पर पृष्ठानकन।</li> <li>• बी-1 अथवा बी-3 लाइसेंस इंजीनियर के रूप में 05 वर्षों का पोस्ट क्वालिफिकेशन कार्य अनुभव।</li> <li>• विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) हेलिकॉप्टर के रूप में पूर्व से कार्यअनुभव को प्राथमिकता।</li> <li>• इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य</li> </ul>	तथैव	तथैव	मैकेनिक हेलिकॉप्टर के पद से प्रोन्नति।	01 वर्ष	तथैव	तथैव

**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**


क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया / आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती / नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति / पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18	विमान अनुसंधान अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग / सपोर्ट स्टाफ) रेडियो	नियमित / प्रोन्नति संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>DGCA द्वारा निर्गत चालू एवं वैध कैटेगरी बी-2 लाइसेंस।</li> <li>वायुयान संगठन निदेशालय के उपलब्ध एयरक्राफ्टों पर पृष्ठांकन।</li> <li>बी-2 लाइसेंस इंजीनियर के रूप में 05 वर्षों का पोस्ट क्वालिफिकेशन कार्य अनुभव।</li> <li>विमान अनुसंधान अभियंता (AME) रेडियो के रूप में पूर्व से कार्य अनुभव को प्राथमिकता।</li> <li>इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य अर्हता मान्य होगा।</li> </ol>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से /</p> <p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।</p>	<p>मैकेनिक रेडियो के पद से प्रोन्नति।</p> <p>AME रेडियो के पद हेतु आवश्यक अर्हता तथा DGCA का Approval एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पुरा करना होगा।</p>	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>अध्यक्ष</b>— बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li><b>सदस्य</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li><b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li><b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li><b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मेन्टेनेन्स मैनेजर वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>अध्यक्ष</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li><b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li><b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मेन्टेनेन्स मैनेजर वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>
19	मैकेनिक / तकनीशियन विमान	नियमित / संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स के साथ 10+2, डी०जी०सी०ए० अनुमोदित ए०एम०ई० इन्सटीच्यूट से मैकेनिकल स्ट्रीम में उत्तीर्णता।</li> <li>विमान संस्थान में लाइट एवं मीडियम वेट कैटेगरी एयरक्राफ्ट पर मेनटेनेन्स एवं ओवरहॉल के कार्य में न्यूनतम 02 वर्षों का कार्यानुभव।</li> <li>डिप्लोमा (एरोनॉटिक्स) या ए०एम०ई० लाइसेंस धारक (कैटेगरी-बी०-1) को प्राथमिकता दी जायेगी</li> <li>इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य अर्हता मान्य होगा।</li> </ol>	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	तथैव	तथैव
20	मैकेनिक / तकनीशियन रेडियो	नियमित / संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स के साथ 10+2, डी०जी०सी०ए० अनुमोदित ए०एम०ई० इन्सटीच्यूट से एवियोनिक्स स्ट्रीम में उत्तीर्णता।</li> <li>विमान संस्थान में लाइट एवं मीडियम वेट कैटेगरी एयरक्राफ्ट पर रेडियो मेनटेनेन्स के कार्य में न्यूनतम 02 वर्षों का कार्यानुभव।</li> <li>डिप्लोमा (एरोनॉटिक्स) या ए०एम०ई० लाइसेंस धारक (कैटेगरी-बी०-2) अथवा संबंधित क्षेत्र के अनुभवी पूर्व वायु सेना कर्मी को प्राथमिकता दी जायेगी</li> <li>इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य अर्हता मान्य होगा।</li> </ol>	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	तथैव	तथैव

**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**

क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया/ आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति/पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21	मैकेनिक / तकनीशियन हेलिकॉप्टर	नियमित / संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स के साथ 10+2, डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित ए0एम0ई0 इन्स्टीच्यूट से मैकेनिकल (हेलिकॉप्टर) उत्तीर्णता।</li> <li>2. टरबाइन इंजन हेलिकॉप्टर पर मैकेनिक के रूप में किसी विमानन संस्थान में न्यूनतम 02 वर्षों का कार्यानुभव।</li> <li>3. डिप्लोमा (एरोनॉटिक्स) या ए0एम0ई0 लाइसेंस (निदेशालय में तत्समय उपलब्ध टरबाइन इंजन हेलिकॉप्टर का) धारक को प्राथमिकता।</li> <li>4. निदेशालय में उपलब्ध हेलिकॉप्टर के मेन्टेनेन्स के कार्य में अनुभव को प्राथमिकता।</li> <li>5. इसके अतिरिक्त डी०जी०सी०ए० के अनुरूप अन्य अर्हता मान्य होगा।</li> </ol>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/</p> <p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।</p>	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष— बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li>2. सदस्य—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. सदस्य—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>4. सदस्य—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>5. सदस्य—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मेन्टेनेन्स मैनेजर वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>6. सदस्य—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>7. सदस्य—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li>8. सदस्य— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>2. सदस्य—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li>3. सदस्य—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li>4. सदस्य—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li>5. सदस्य—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मेन्टेनेन्स मैनेजर वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li>6. सदस्य— सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li>7. सदस्य—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li>8. सदस्य— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>
22	मुख्य भंडारपाल	नियमित / संविदा / वाह्य स्रोत / प्रोन्नति (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स/कॉमर्स के साथ स्नातक।</li> <li>2. विमानन क्षेत्र में भंडारण का का 02 वर्षों का कार्य अनुभव।</li> </ol>	<p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	तथैव	सहायक भंडारपाल पद से प्रोन्नति।	01 वर्ष	तथैव।	तथैव।
23	सहायक भंडारपाल	नियमित / संविदा / वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स/कॉमर्स के साथ स्नातक।</li> <li>2. विमानन क्षेत्र में भंडारण का 02 वर्षों का कार्य अनुभव।</li> </ol>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/</p> <p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	तथैव।	तथैव

**बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025**

क्र०सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया/ आयु	संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता	परीक्ष्यमान अवधि	सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना।	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति/पदोन्नति का पद होने की स्थिति में पदोन्नति समिति की संरचना।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
24	पेन्टर	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>10+2 उत्तीर्ण।</li> <li>एयरक्राफ्ट पेंटिंग एवं लेटरिंग में 02 वर्षों का कार्य अनुभव।</li> </ul>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 09 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से/</p> <p>नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21-45 वर्ष होगी एवं संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा 21-65 वर्ष होगी।</p>	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर स्तंभ 10 में वर्णित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से।</p>	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>अध्यक्ष</b>— बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नामित सदस्य।</li> <li><b>सदस्य</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li><b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li><b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मेन्टेनेन्स मैनेजर, वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>अध्यक्ष</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li><b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li><b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय अथवा मेन्टेनेन्स मैनेजर, वायुयान संगठन निदेशालय।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>
25	क्लीनर	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ।</li> <li>डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित विमानन संस्थान में कम से कम 02 वर्ष क्लीनर के रूप में कार्यानुभव।</li> </ol>	तथैव	तथैव	तथैव	01 वर्ष	तथैव	तथैव
26	हेल्पर	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ol style="list-style-type: none"> <li>10+2 या समकक्ष।</li> <li>एयरक्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर पर हेल्पर के रूप में 02 वर्षों का कार्यानुभव।</li> </ol>	तथैव	तथैव	तथैव	01 वर्ष	तथैव	तथैव
27	कम्प्यूटर ऑपरेटर	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्रोत (स्थाई पद)	<ul style="list-style-type: none"> <li>इन्टरमीडिएट।</li> <li>न्यूनतम अँग्रेजी (35wpm) एवं हिन्दी (30wpm) टंकण प्रवीणता।</li> <li>मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर सक्षमता (न्यूनतम 01 वर्षीय पाठ्यक्रम का) प्रमाण पत्र।</li> </ul> <p>एवं</p> <p>बिहार सरकार के कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में न्यूनतम 02 वर्षों का कार्यानुभव।</p>	तथैव	<p>खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा की स्थिति में स्तंभ-10 में वर्णित चयन समिति द्वारा दक्षता/टंकण जाँच तथा साक्षात्कार के माध्यम से।</p>	सीधी भर्ती का पद	तथैव	-	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>अध्यक्ष</b>—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</li> <li><b>सदस्य</b>—आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)।</li> <li><b>सदस्य</b>—निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li><b>सदस्य</b>—उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन निदेशालय</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> <li><b>सदस्य</b>—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी जो अवर सचिव से अन्यून स्तर का हो।</li> </ol>

  
 (डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)  
 सरकार के विशेष सचिव